न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय,
अजमेर कैम्प कोर्ट दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व अपील संख्या 63/26 2026/63

कैलाशचन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

—— अपीलार्थी

बनाम

1. संतरा देवी पत्नी हनुमान, जाति जाट निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल, जाति कुमावत निवासी 26 साई वाटिका गिरधारीपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, जिला जयपुर, राज0।
3. सायर देवी पत्नी मंगलाराम, जाति जाट निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
4. सीता देवी पत्नी गणेशराम, जाति जाट निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
5. तेजूराम पुत्र भंवर, जाति जाट निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
6. बाली देवी पत्नी पांचू, जाति जाट निवासी ग्राम माधोपुरा, तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।
7. उपपंजीयक महोदय दूदू जिला जयपुर।
8. तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

—— रेस्पोडेन्ट्स

63/2026
9.2.26

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कैलाशचन्द बनाम संतरा वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/63 (दूदू)

प्रा.पत्र 96 पर
खारिज
09/02/2026

श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका

कैलाशचंद बनाम संतरा वगैरह (2026/63)

09.02.2026

यह अपील श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 9/2026 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 (अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत) पेश किया गया। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जानबूझकर पक्षकार कायम नहीं किया गया था, जबकि प्रार्थी प्रोपर पक्षकार था, अपीलार्थी विवादित आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का हिस्सा क्रय कर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2026 से अपीलार्थी के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुये है, मातहत अदालत में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था, जिससे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अपीलार्थी एक सद्‌भावी क्रेता है, जिसने उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2026 को क्रय किया है, जिसका उसने सम्पूर्ण प्रतिफल अदा क्रय किया है, तब से उक्त आराजीयात पर अपीलार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है, चूंकि अपीलार्थी उक्त आराजीयात के सद्‌भावी क्रेता है, जो अपनी आराजीयात पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। जिस जगह रेस्पोडेन्ट संख्या 02 काबिज काश्त था उसी जगह अपीलार्थी को कब्जा संभला दिया गया है, जिस पर अपीलार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दिनांक 03.02.2026 को ही नामान्तकरण प्रक्रियाधीन चल रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलार्थी को उसके हक व हकूकों से महरूम रखने के उद्‌देश्य से स्थगन जारी करवा लिया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.02.2026 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाकर जाने के आदेश प्रदान करावे। इस हेतु तहसीलदार/ सबरजिस्ट्रार आमेर को लिखा जावें।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अधीनस्थ न्यायालय की प्रति तथा अपील का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 02.02.2026 को विवादित आराजीयात में से कुछ हिस्सा जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार-...

RAA

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कैलाशचन्द बनाम संतरा वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/63 (दूदू)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका

लगातार...	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद किया गया है। अपीलांट विवादित आराजीयात के क्रेता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में किसी प्रकार से पक्षकार बनने हेतु कोई कार्यवाही किया जाना अपील के अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से पक्षकार बनने हेतु विधिक उपचार उपलब्ध है। चूंकि उक्त अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध पेश की गई है जो कि मूल वाद पत्र में अपीलांट पक्षकार नहीं होने से उन्हे अपील प्रस्तुती की कानूनी रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

RAA